प्रकरण सं0 25/2014 अनवानी अरसा बनाम तहसीलदार आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15.01.2019 प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी की बहस में अभिभाषक प्रार्थी (अपीलांट) द्वारा प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0पत्र स्वीकार कर रेस्पो0 सं0 6 के वारिसान को अपील में पक्षकार बनाने का निवेदन किया गया। अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा जवाब प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क किया कि रेस्पो0 सं0 6 की मृत्यु 16.7.11 को हो चुकी थी जबकि अपील दिनांक 06.8.14 को पेश की गयी है। कानूनन मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर उसके विधिक वारिसान को प्रश्नगत प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता। इसलिए मृत व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित अपील प्रारंभतः ही विधि विरूद्ध है। बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रा0 पत्र के साथ प्रा0पत्र देरी से प्रस्तुत करने के लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रा0पत्र संलग्न नहीं किया है। आदेश 22 नियम 4 सीपीसी में मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करना विधि विरूद्ध माना गया है। अतः अपीलांट का प्रा0पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी खारिज किया जाता है, चूंकि हस्तगत अपील मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जो प्रारंभतः ही विधि विरूद्ध है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है, पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 15.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (प्रभाती लाल जाट) आर.ए.एस अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)
Web Copy - Not Official